(109)

(11)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर.के.मिश्रा,**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1874-एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 26-03-2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 697/अपील/2007-08.

विष्णुदत्त शर्मा तनय श्री ज्ञानदत्त शर्मा
निवासी- ग्राम टिकरी, तहसील रामपुर बाघेलान,
जिला सतना म0प्र0

.....आवेदक

बनाम

जगदीश प्रसाद तनय श्री शिव कुमार ब्रा.
निवासी- देवरा नं0 एक तहसील रामपुर बाघेलान,
जिला सतना म0प्र0

.....अनावेदक

श्री अनिरूद्ध सिंह अधिवक्ता, आवेदक
श्री राजेन्द्र पाण्डेय अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23/01/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा पारित दिनांक 26-03-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य यह है कि आवेदक ने ग्राम देवरा स्थिर भूमि ख.क्र. 441/1 रकबा 0.94 एकड के कच्ची टीप के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन नायब तहसीलदार रामपुर बाघेलान के समक्ष प्रस्तुत किया। जो बाद में स्थानांतरित होकर

न्यायालय अधीक्षक भू-अभिलेख तना को प्राप्त हुआ जिसमें आदेश दिनांक 25-9-2007 को आवेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित हुआ। अनावेदक जगदीश प्रसाद ने आदेश दिनांक 25-09-2007 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28-2-2008 में यह निष्कर्ष निकाला कि अनावेदक द्वारा आदेश पत्रिका दिनांक 30-8-06 के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी जिसमें प्रकरण क्रमांक 589/निग./05-06 में पारित आदेश दिनांक 28-11-06 से निगरानी स्वीकार कर निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित की थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अति. कलेक्टर के निगरानी में पारित आदेश 28-11-2006 पर बिना गौर किये हुए नामांतरण की कार्यवाही किया है। इसी कारण अनविभागीय अधिकारी ने अपील स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यार्तित किया कि विचाराधीन प्रकरण की आदेश पत्रिका दिनांक 20-9-06 के बाद की स्थिति में सर्वप्रथम निगरानी न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करते हुये विधिसम्यक आदेश पारित करें। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 697/अपील/2007-08 दर्ज कर दिनांक 26-05-2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने कच्ची टीप के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में यह पाया कि कच्ची टीप विक्रय पत्र नहीं है बल्कि अनुबंध है। अधीक्षक भू-अभिलेख ने उक्त दस्तावेज का अध्ययन किये बिना अनुबंध को विक्रय पत्र मानकर नामांतरण किया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने त्रुटिपूर्ण मानकर निरस्त किया है। अधीक्षक भू-अभिलेख ने अपर कलेक्टर द्वारा दिये गये निर्देशों पर बिना गौर किये अवैधानिक एवं अनियमित आदेश पारित है जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी के विधिसम्मत आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने भी अपने

आदेश से की है। अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अस्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 26-3-2012 स्थिर रखा जाता है।

23/1/2019

(आर.के.मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर